फतेहपुर
पुलिस

प्रेस नोट

थाना गाजीपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 116/21 की घटना का अनावरण

दिनांक 11.06.2021 को थाना गाजीपुर मे चौकी क्षेत्र शाह से सूचना प्राप्त हुयी कि एक नाबालिग लड़की को दो लोग बहला फुसलाकर भगा ले गये है उक्त सूचना पर तत्काल थाना गाजीपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया । पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 161 व 164 सीआरपीसी में बयानो के अवलोकन से पीड़िता द्वारा स्वयं से जाना बताया गया । तदोपरान्त वादी मुकदमा द्वारा प्रा0 पत्र दिया गया कि मेरे मुकदमे की किसी दूसरे विवेचक से गुणात्मक विवेचना कराकर उचित धाराओं में सम्बन्धित अभियुक्तगणों व शुभम गुप्ता की गिरफ्तारी हेतु दिया गया । जिसके आधार पर उक्त विवेचना चौकी प्रभारी शाह से थानाध्यक्ष गाजीपुर अर्जुन सिंह को आवंटित की गयी जिनके द्वारा गहन विवेचना कर पीड़िता का बयान महिला उप निरीक्षक माया महिला थाना जनपद फतेहपुर द्वारा दर्ज कराया गया जिसकी वीडियोग्राफी भी करायी गयी । बयानों/साक्ष्यों के आधार पर समस्त घटना स्थल की पहचान पीड़िता द्वारा की गयी एवं उक्त घटनास्थल को पीड़िता द्वारा अपने परिजनो के साथ स्वंय फारेन्सिक टीम के साथ निरीक्षण कराया गया । एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी। जिसमें एक घटनास्थल ग्राम रामपुर कला थाना सरैनी जनपद रायबरेली में **बबलू सिंह तोमर पुत्र स्व0 शिव बहादुर सिंह तोमर नि0 रामपुर कला थाना सरैनी जनपद रायबरेली के घर का होना पाया गया ।** जिसकी पुष्टि स्वंय पीड़िता व अभियुक्त द्वारा की गयी है। उक्त स्थान पर पीड़िता को बबलू सिंह तोमर पुत्र स्व0 शिव बहादुर सिंह तोमर नि0 रामपुर कला थाना सरैनी जनपद रायबरेली के चालक शुभम गुप्ता द्वारा ले जाने की बात पायी गयी । शुभम गुप्ता उक्त ने बताया कि बबलू सिंह तोमर पुत्र स्व0 शिव बहादुर सिंह तोमर नि0 रामपुर कला थाना सरैनी जनपद रायबरेली का ड्राइवर है तथा उसकी गाड़ी चलाता है व उसके घर में सर्वेन्ट क्वार्टर में रहता है तथा बबलू सिंह तोमर पुत्र स्व0 शिव बहादुर सिंह तोमर नि0 रामपुर कला थाना सरैनी जनपद रायबरेली का खनन से सम्बन्धित व्यापार है।

समस्त बयानों सर्विलांस से साक्ष्य पीड़िता एवं अभियुक्त द्वारा पुष्टि से पूर्ण रुप से सिद्ध होता है कि सोशल मीडिया में वायरल हुये पोस्ट/वीड़ियो में मा0 विधायक अयाह शाह फतेहपुर श्री विकास गुप्ता जी जो कि फतेहपुर के हैं व रायबरेली से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही कोई विजिनेस है चूंकि अभियुक्त शुभम पुत्र मुन्ना उर्फ योगेन्द्र गुप्ता नि0 राधानगर सथरियांव रोड़ थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म बबलू सिंह तोमर पुत्र स्व0 शिव

बहादुर सिंह तोमर नि0 रामपुर कला थाना सरैनी जनपद रायबरेली के बंगले में किया है जो कि घटना स्थल थाना क्षेत्र सरैनी जनपद रायबरेली का है चूंकि मा0 विधायक अयाह शाह जनपद फतेहपुर श्री विकास गुप्ता जी को क्षेत्रीय जनता बबलू भैया कहकर संबोधित करती है जिस कारण ऐसी बातें सोशल मीड़िया में आयीं जबकि मा0 विधायक अयाह शाह जनपद फतेहपुर श्री विकास गुप्ता जी का उक्त प्रकरण से कोई भी सम्बन्ध होना नहीं पाया गया है तथा अभियुक्त शुभम गुप्ता द्वारा भी मा0विधायक अयाह शाह जनपद फतेहपुर श्री विकास गुप्ता जी से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध होना नहीं बताया गया है। घटना की साइन्टिफिक तरीके से जांच की गयी विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य से मुकदमा उपरोक्त में धारा 376घ/120बी/109 भादवि व ¾ पोक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी तथा घटना में बबलू सिंह तोमर पुत्र स्व0 शिव बहादुर सिंह तोमर नि0 रामपुर कला थाना सरैनी जनपद रायबरेली का नाम प्रकाश में आया जिस कारण मुकदमे में बढ़ोत्तरी कर कार्यवाही की जा रही है। गुणात्मक विवेचना एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर साक्ष्य संकलन कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. राहुल पुत्र बुधराम कश्यप निवासी अन्दौली पुलिया राधानगर फतेहपुर ।
2. संदीप कुमार पुत्र सरजू पटवा हाल निवासी अन्दौली पुलिया राधानगर फतेहपुर मूल निवासी सहिमापुर थाना हुसैनगंज जनद फतेहपुर।
3. शुभम पुत्र मुन्ना उर्फ योगेन्द्र गुप्ता निवासी राधानगर सथरियांव रोड थाना कोतवाली फतेहपुर ।

फरार अभियुक्त –

1.बबलू सिंह तोमर पुत्र स्व0 शिव बहादुर सिंह तोमर निवासी ग्राम रामपुर कला थाना सरैनी जनपद रायबरेली

गिरफ्तारी टीम –

1. अर्जुन सिंह थानाध्यक्ष गाजीपुर
2. कां0 वीरेश कुमार
3. कां0 ओमकुमार तिवारी
4. कां0 जय प्रकाश
5. कां0 अनीस यादव